कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

चतुर्थ प्रबन्ध मण्डल बैठक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.04.2017

समय : प्रातः 11:30 बजे

स्थान : सभागार, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

चतुर्थ प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 03 अप्रैल 2017 को प्रातः 11:30 बजे सभागार, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में प्रबंध मंडल की चतुर्थ बैठक डॉ जी॰ एल॰ केशवा माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

क्र. स.	सदस्य नाम	
1.	डॉ. जी. एल. केशवा, माननीय कुलपति	**अध्यक्ष**
2.	श्री हीरा लाल नागर, माननीय विधायक, सांगोद	सदस्य
3.	श्री रघुवीर मीणा, सम्भागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा। (प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रतिनिधी)	पदेन सदस्य
4.	डॉ. एस. एन. गर्ग, प्राचार्य राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा (अति॰ मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रतिनिधी)	पदेन सदस्य
5.	डॉ. राम गोप मीणा, अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन कोटा। (सचिव पशुपालन, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रतिनिधी)	पदेन सदस्य
6.	डॉ एल. के. दशोरा, अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड	सदस्य
7.	डॉ एस. के. जैन, प्रोफेसर (पी॰एच॰टी॰), उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड	सदस्य
8.	डॉ प्रताप सिंह, निदेशक अनुसंधान	सदस्य
9.	डॉ॰ के॰ एन॰ ओझा, निदेशक मानव संसाधन	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	डॉ॰ के॰ एम॰ गौतम, कार्यवाहक कुलसचिव	सचिव

बैठक में प्रमुख शासन सचिव कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही हो पाये।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक का कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः

बोम–04/2017/01: **प्रबंध मंडल के निवर्तमान सदस्यों की सेवाओं की सराहना बाबतः**

श्रीमान् उपशासन सचिव, राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप–3) विभाग, सचिवालय, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ॰3(2) कृषि–3/2014 दिनांक 22.12.2014 द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के लिये श्री मधु सुदन आचार्य (प्रख्यात शिक्षा विद्/वैज्ञानिक), श्री ताराचन्द्र गोयल (कृषि उद्योगपति), श्री खेमराज सिंह (प्रगतिशील किसान) एवं श्रीमती (डॉ॰) अरूणा मीणा, महिला समाज सेविका का मनोनयन दो वर्षो के लिये किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 21.12.2016 को समाप्त हो गई थी। प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के रूप में उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं दिये गये बहुमूल्य सुझावों की प्रबन्ध मण्डल द्वारा सराहना की गई।

निर्णयः **प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

बोम–04/2017/02: **तृतीय प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 23.09.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबतः**

प्रबन्ध मण्डल की तृतीय बैठक दिनांक 23.09.2016 को आयोजित की गई थी। बैठक का कार्यवाही विवरण **पृष्ठ संख्या 01 से 06** तक अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

बोम–04/2017/03: **तृतीय प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 23.09.2016 के कार्यवाही विवरण पर की गयी कार्यवाही रिपोर्टः**

प्रबन्ध मण्डल की तृतीय बैठक दिनांक 23.09.2016 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट **पृष्ठ संख्या 07 से 21** तक माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

निर्णयः कार्यवाही रिपोर्ट का माननीय सदस्यो ने अवलोकन किया और सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

बोम–04/2017/04: सप्तम विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17.02.2017 की कार्यवाही की पुष्टि करने बाबत।

सप्तम विद्या परिषद की कार्यवाही विवरण **पृष्ठ संख्या 22 से 48** तक एवं शैक्षणिक पदों को भरने के लिये दिये जाने वाले विज्ञापन की प्रति **पृष्ठ संख्या 49** पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई।

निर्णयः **सप्तम विद्या परिषद की कार्यवाही विवरण के एजेण्डा आइटम AUK/AC-7/2017-I/13 पर कार्यवाही वित्त नियंत्रक द्वारा की जायेगी तथा पृष्ठ संख्या 49 पर कार्यक्रम समन्वयक की पंक्ति में AGP के बाद 9000 जोड़ा जाये। उपरोक्त संशोधन के साथ सप्तम विद्या परिषद की कार्यवाही विवरण का माननीय सदस्यों ने अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

कार्यवाहीः **सप्तम विद्या परिषद की कार्यवाही विवरणानुसार**

बोम–04/2017/05: विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक ग्रेड–द्वितीय, वाहन चालक, कृषि पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत करने के लिये योग्यता एवं अनुभव निर्धारित करने बाबतः

विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स जो कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित करके माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन हेतु भेजे गये है, के अनुसार 15 प्रतिशत स्वीकृत पदों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा सकता है।

नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर एक पद कनिष्ठ लिपिक, तीन पद वाहन चालक (ड्राइवर) को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए प्रस्तावित किया गया। इन पदों के लिए योग्यताएं एवं आर्हताऐं पूर्व में ही निर्धारित की जा चुकी है।

उद्यानिकी सहायक के पद की आर्हयतायें एवं योग्यता कृषि पर्यवेक्षक पद के समान ही होती है। अतः उद्यानिकी सहायक के पद को कृषि पर्यवेक्षक के पद के समकक्ष रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 05 पदों की पदोन्नति कर, कृषि पर्यवेक्षक के पदों को भरे जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

इसी के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के न्यूनतम सेवा अवधि का उल्लेख नही होने के कारण नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कम से कम 05 साल का अनुभव उक्त सभी पदों के लिए भी सम्मिलित करने के लिये प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति (15 प्रतिशत स्वीकृत पदों) हेतु 05 वर्षो की सेवाअवधि, योग्यताएं एवं आर्हताए सहित विभिन्न पदों (लिपिक ग्रेड–द्वितीय, कृषि पर्यवेक्षक व वाहन चालक) पर निर्धारित प्रतिशत व मापदण्डों के आधार पर की जावे। उद्यानिकी सहायक के पद की आर्हतायें व योग्यतायें कृषि पर्यवेक्षक के समकक्ष होने के कारण उद्यानिकी सहायक के पद को कृषि पर्यवेक्षक के पद में सम्मलित किया जावे। प्रस्ताव का माननीय सदस्यो ने अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

कार्यवाहीः कुलसचिव

बोम–04/2017/06: विश्वविद्यालय में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों को सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने बाबत

विश्वविद्यालय में 02 सहायक कृषि अधिकारी के पद स्वीकृत है। विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स के अनुसार जिन कृषि पर्यवेक्षकों की योग्यता स्नातक (कृषि) है, को कम से कम 18 वर्ष तक कृषि पर्यवेक्षक के पद पर जिनकी योग्यता सीनियर सैकण्डरी (कृषि) एवं समकक्ष है के साथ कम से कम 27 वर्ष कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है को सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नत सम्बन्धी प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स के अनुसार सहायक कृषि अधिकारी के लिए योग्यता स्नातक (कृषि) व 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने या सीनियर सैकण्डरी (कृषि) एवं समकक्ष व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर कृषि पर्यवेक्षक को सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये जाने के लिये राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करें।**

कार्यवाहीः कुलसचिव

बोम–04/2017/07: **विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अशैक्षणिक पद जिनका ग्रेड–पे 3600 रूपये की सीमा तक है, को सीधी भर्ती के लिये राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा भरने के अनुमोदन हेतु।**

विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती हेतु स्वीकृत निम्नांकित अशैक्षणिक पदों, जिनका ग्रेड–पे 3600/– रूपये की सीमा तक सीधी भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्याताऐं व आर्हताऐं के अनुसार एवं विश्वविद्यालय द्वारा रोस्टर निर्धारण के उपरांत राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से करवाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया।

क्र॰ सं॰	पद नाम	पदो की संख्या	ग्रेड पे (रूपये में)
1.	आशुलिपिक (Stenographer)	11	3600
2.	क्लर्क ग्रेड–द्वितीय (LDC cum Computer)	12	2400
3.	कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor)	06	2400
4.	विधि सहायक (Legal Assistant)	01	3600
5.	सूचना सहायक (Informatic Assistant)	01	2800
6.	वाहन चालक (Driver)	07	2400
7.	इलेक्ट्रिशियन (Electrician)	01	2400
	कुल (Total)	39	

यदि उक्त पद किसी कारणवश बोर्ड द्वारा नही भरे जाते हैं एवं इनके अलावा जिन अशैक्षणिक कर्मचारियों के ग्रेड पे 3600/– से अधिक है, को विश्वविद्यालय अपने स्तर पर नियमानुसार भरने की कार्यवाही करेगा।

निर्णयः **प्रस्ताव का माननीय सदस्यो ने अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

कार्यवाहीः निदेशक, मानव संसाधन विकास

बोम–04 / 2017 / 08: **कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर का निर्धारण :**

विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि कटौती राशि पर 8 प्रतिशत ब्याज की दर निर्धारण हेतु प्रस्ताव वर्ष 2014–15 एवंम 2015–16 के लिए प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2016–17 में जमा भविष्य निधि ब्याज का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।

निर्णयः **विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात विश्वविद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों की भविष्य निधि की कटौती की जमा राशि पर वर्ष 2014–15 एवंम 2015–16 में 8 प्रतिशत ब्याज दिया जावे। वर्ष 2016–17 में जमा भविष्य निधि पर देय ब्याज की दर आगामी प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत की जावें। प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा कर माननीय सदस्यो ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

कार्यवाहीः वित्त नियंत्रक

बोम–04 / 2017 / 09: **सेवानिवृत कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश का बकाया भुगतान के सम्बन्ध में:**

प्रबन्ध मण्डल की द्वितीय बैठक दिनांक 18.06.2016 के एजेण्डा सं. बोम–02 / 2016 / 16 में स्टेट प्लान व स्टेट नॉन प्लान मद से सेवानिवृत कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान उनके वेतन मद से करने तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पत्र क्रमांक F 1-55/AICRP-IFS/201 दिनांक 18.07.14 **(पृष्ठ संख्या 56)** द्वारा सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के ICAR मद से भुगतान करने हेतु मना कर दिये जाने से उपार्जित अवकाश का भुगतान विश्वविद्यालय की निजी आय से करने का निर्णय लिया गया था।

प्रबन्धक मण्डल की पूर्व बैठक दिनांक 18.06.2016 के उक्त निर्णय के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान सरकार, कृषि (ग्रुप–3) विभाग के पत्र क्रमांक प॰3(17)कृषि–3 / 2016 दिनांक 08.08.2016 **(पृष्ठ संख्या 57)** में प्रस्तुत टिप्पणी सं. 2 में यह निर्देशित किया गया है कि ''अन्य विश्वविद्यालय में लिये गये निर्णय के अनुरूप सेवानिवृत होने अधिकारियों / कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश के एवज में नकद राशि का भुगतान वेतन मद से किये जाने हेतु सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जावे।''

अतः उक्त टिप्पणी के निर्देशानुसार कृषि विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृति पर बकाया उपार्जित अवकाश को नकद भुगतान वेतन मदों से किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्धक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **विश्वविद्यालय से होने वाले सेवा निवृत अधिकारियों / कर्मचारियों को सेवा निवृति पर उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले वेतन मदों से किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

कार्यवाहीः वित्त नियत्रंक

बोम–04/2017/10 **अधिकारों के प्रत्योजन में संशोधन करने हेतु।**

विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियम के अध्याय 19 में प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन के क्रम सं. 13 में निम्न प्रकार शक्तियॉ प्रत्योजित है :

S. N	Nature of the power delegated	Vice Chancellor	Registrar/ Comptroller /COE/ Librarian	Dean/ Director	Estate Officer/ Director Students Welfare	Office Incharge of KVK/ Research station/ Substation/ Project Incharge/ Head etc.
1.	Permission to purchase movable and immovable articles and powers of sanction	Full power	Upto 1,00,000/ and amended from time to time	Upto 5,00,000/- and amended from time to time	Upto 1,00,000/- and amended from time to time	Upto 20,000/- and amended from time to time

संशोधन प्रस्तावित :

S. No	Nature of the power delegated	Vice Chancellor	Registrar/ Comptroller /COE/ Librarian/ Estate Officer/ Office In charge of Research station (ZDR)/ Director Students Welfare	Dean/ Director	Office Incharge of KVK/ Research Substation/ MAF	Project Incharge/ Head of Department
1.	Permission to purchase movable and immovable articles and powers of sanction	Full power	Upto 2,00,000/ and amended from time to time	Upto 5,00,000/- and amended from time to time	Upto 1,00,000/- and amended from time to time	Upto 10,000/- and amended from time to time

उक्त अधिकारों के प्रत्यायोजन में संशोधन हेतु प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव का माननीय सदस्यो ने अवलोकन किया और सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

कार्यवाहीः वित्त नियंत्रक

बोम–04 / 2017 / 11 **संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत कार्मिकों की अवधि विस्तार बाबत्:**

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में समेकित वेतन पर सेवानिवृत कार्मिक श्री आर॰ पी॰ माथुर (जन्म तिथी 04.01.1954) इस विश्वविद्यालय में दिनांक 14.02.2014 से विभिन्न नियुक्ति आदेशों के अन्तर्गत कार्यरत है। उक्त सेवानिवृत कार्मिक को समेकित मानदेय पर कार्य करते हुये दिनांक 05.07.2017 को 03 वर्ष पूर्ण हो जायेगें। विश्वविद्यालय में नई नियुक्तियों में समय लगने की सम्भावना है। अनुभव व लेखाशाखा के कार्य की आवश्यकता को देखते हुए वित्त नियंत्रक द्वारा सेवानिवृत कार्मिक श्री आर॰ पी॰ माथुर को समेकित पारिश्रमिक पर कार्य करने की अवधि

अगले एक वर्ष (दिनांक 06.07.2017 से 05.07.2018 तक) बढाने की अनुशंसा पत्र दिनांक 15.03.2017 द्वारा की है **(पृष्ठ संख्या 58)।** अतः सेवानिवृत कार्मिक श्री आर॰ पी॰ माथुर को समेकित पारिश्रमिक पर कार्य करने की अवधि अगले एक वर्ष या नियमित कर्मचारी की नियुक्ति होने या अग्रिम आदेशो तक जो भी पहले हो के आधार पर बढाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव का माननीय सदस्यो ने अवलोकन किया और सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

कार्यवाहीः कुलसचिव

बोम–04/2017/12 **विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञ/ राज्य सरकार/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नामित एवं अन्य आमंत्रित व्यक्तियों को मानदेय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

अब तक इस विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के आदेश क्रमांक F 51/MPUAT/Rules/ Gr.V/ 2015/ 1479-1510 दिनांक 18.01.2016 के अनुसार ही आमंत्रित व्यक्तियों को बैठक भत्ते/ मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

अतः इस विश्वविद्यालय में बैठक भत्ते/मानदेय का निर्धारण निम्न प्रकार प्रस्तावित है–

I. प्रबन्धक मण्डल एवं कुलपति चयन समिति, की बैठक में उपस्थित होने वाले बाहरी आमंत्रित सदस्यों को प्रतिदिन रू. 2000/– व अकादमिक कौन्सिल व वित्त समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले बाहरी सदस्यों को रू. 1000/– प्रतिदिन बैठक भत्ता/मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है।

II. राज्य सरकार, राज्यपाल महोदय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कुलपति चयन समिति के लिए नामित विशेषज्ञ एवम शैक्षणिक पदो के लिए चयन समिति के बाहरी विशेषज्ञो/नामित सदस्यों के लिए रू. 1500/– प्रतिदिन मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः **प्रस्ताव पर माननीय सदस्यो ने चर्चा की और सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

कार्यवाहीः वित्त नियंत्रक

बोम–04/2017/13 **डॉ राम आसरे, सह आचार्य, कृषि विज्ञान केन्द्र, सवाई माधोपुर को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के आदेशानुसार आचार्य के पद पर दी गई पदोन्नति पर निर्णय बाबत।**

डॉ राम आसरे, सह आचार्य, कृषि विज्ञान केन्द्र, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा आदेश क्रमांक 1157 दिनांक 13.06.2016 से उनकी आचार्य के पद पर पदोन्नति की गई है। यह पदोन्नति स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा दिनांक 28.06.2013 से दी गई है। कृषि विश्वविद्यालय, कोटा सितम्बर, 2013 में अस्तित्व में आया है। इससे पूर्व डॉ राम आसरे स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में कार्यरत थे। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.06.2016 **(पृष्ठ संख्या 59–60)** संलग्न है। तृतीय प्रबन्ध मण्डल में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 12942 दिनांक 08.02.2017 द्वारा निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा से डॉ॰ आसरे की कार्य निष्पादन रिपोर्ट मांगी गई थी, जो कि निदेशक प्रसार शिक्षा के पत्र क्रमांक एफ॰ डी॰डी॰/एयूकोटा/2017/2848–49 दिनांक 10.02.2017 को विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गई है। निदेशक प्रसार शिक्षा द्वारा दी गई कार्य निष्पादन रिपोर्ट में कार्य सन्तोषप्रद बताया गया है **(पृष्ठ संख्या 61)** तथा स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा उपरोक्त वर्णित आदेश एवं श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के आदेश क्रमांक प॰23/स्था॰/ग्रुप–1/सीएएस/श्रीकन कृवि/2016/9961–I दिनांक 21.06.2016 (पृष्ठ संख्या 62) की शर्तो के अनुसार पदोन्नत प्राध्यापकों को उनके द्वारा शपथ पत्र के अनुसार आचार्य पद पर कार्य ग्रहण तिथी से नकद भुगतान देय किया जायेगा। तथा कार्य ग्रहण तिथी से पूर्व अर्थात पदोन्नति की तिथी से (28.06.2013) से पूर्व काल्पनिक (नोशनल) लाभ देय होगा। पदोन्नति के वित्तीय लाभ राज्य सरकार की पुष्टि उपरान्त देय होगें। वेतन

निर्धारण सम्बन्धित विश्वविद्यालय में गठित वेतन निर्धारण समिति द्वारा किये जायेगे। पदोन्नति के परिपेक्ष में वित्तीय लाभ सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जायेगें। पदोन्नति के सम्बन्धित सभी अपेक्षित आदेश भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी किये जायेगें।

अतः डॉ० आसरे को आचार्य पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक तक पूर्व काल्पनिक (नोशनल) लाभ देते हुये इनको आर्थिक लाभ आचार्य पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से दिये जाने का प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव का माननीय सदस्यो ने अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

कार्यवाहीः कुलसचिव

बोम–04 / 2017 / 14 **श्री लज्जा राम, एक्स केडर कर्मचारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, हिण्डौन (करौली) को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति का अनुमोदन बाबत।**

श्री लज्जाराम, एक्स केडर कर्मचारी वर्तमान में कृषि विज्ञान केन्द्र, हिण्डौन पर कार्यरत है, को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ० एमपीयूएटी / स्था० / ग्रेड–II / 2012 / 6203 दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 के तहत दिनांक 05.12.2012 **(पृष्ठ संख्या 63)** को निलम्बित किया गया था।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–1 (उत्तर), कोटा के निर्णय दिनांक 08.06. 2016 को दोषमुक्त घोषित किये जाने के कारण विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक एफ ( )कृवि / कोटा / 2016 / 7822–33 दिनांक 29.09.2016 **(पृष्ठ संख्या 64)** के तहत निलम्बन काल के बकाया वेतन परिलाभ आदि नियमानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के आदेश क्रमांक प० मप्रकृप्रोविवि / स्था / ग्रुप–2 / 2013 / 6696 दिनांक 13.08.2013 **(पृष्ठ संख्या 65–69)** के तहत एक्स केडर कर्मचारियों को वरीयता सूची के अनुसार चतुर्थ

श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने के क्रम में स्वयं को उक्त सन्दर्भित आदेश के तहत चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दिये जाने का प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय में दिनांक 14.06.2016 को प्रस्तुत किया **(पृष्ठ संख्या 70)**।

इस सन्दर्भ में श्रीमान कुलसचिव महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को पत्र क्रमांक एफ ( )/कृवि/कोटा/स्था/2016/9535 दिनांक 18.11.2016 **(पृष्ठ संख्या 71)** के माध्यम से श्री लज्जा राम को उपरोक्त सन्दर्भित आदेश के अनुसार उनके स्तर पर एक्स केडर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु निवेदन किया गया जिसके सन्दर्भ में श्रीमान् कुलसचिव महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ॰ मप्रकृप्रौविवि/स्था॰/ ग्रुप–2/2016/7157 दिनांक 20/27 दिसम्बर, 2016 **(पृष्ठ संख्या 72)** के माध्यम से यह अवगत कराया कि श्री लज्जा राम कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के कर्मचारी हैं। अतः इनकी नियमित नियुक्ति आदेश आपके विश्वविद्यालय स्तर पर ही किया जाना है। विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक एफ ( ) कृवि/कोटा/ 2017/11690–95 दिनांक 09.01.2017 **(पृष्ठ संख्या 73)** के द्वारा एक समिति का गठन किया गया।

उक्त गठित समिति ने श्री लज्जा राम पुत्र श्री धर्मसिंह को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करने के कारण दिनांक 13.08.2013 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाने की अनुशंसा की है। तथा यदि किसी पक्षकार द्वारा उच्च/ उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। तो समस्त परिलाभ उच्च/ उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन होगें। इस आशय का सहमति पत्र भी कर्मचारी से लिया जाना आवश्यक है **(पृष्ठ संख्या 74–75)।**

अतः श्री लज्जा राम को दिनांक 13.08.2013 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव पर माननीय सदस्यो ने विस्तृत चर्चा की और सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

कार्यवाहीः कुलसचिव

बोम–04/2017/15 **कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित स्टेट्यूट्स को विश्वविद्यालय में काम लेने बाबत।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल ने द्वितीय बैठक दिनांक 18.06.2016 में स्टेट्यूट्स अनुमोदन कर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन हेतु भेजे गये थे। परन्तु अभी तक राजभवन से स्टेट्यूट्स अनुमोदन होकर नही आये है। विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्य को निष्पादन करने के लिये स्टेट्यूट्स जब तक राजभवन, जयपुर से अनुमोदन होकर नही आते है तब तक प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित स्टेट्यूट्स को अति आवश्यक कार्यों के लिए काम में लेने हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव का माननीय सदस्यो ने अवलोकन किया और सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।**

कार्यवाहीः कुलसचिव

बोम–04/2017/16 **मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2016–17 के अनुसार जिला झालावाड़ में Organic Farming** का **Centre of Excellence की स्थापना हेतु उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ में भूमि उपलब्ध कराने हेतु।**

जिला उपखंड अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक 4640 दिनांक 30.09.2016 के अनुसार झालावाड़ में बजट घोषणा 2106–17 के तहत Organic Farming के लिये Centre of Excellence की स्थापना करना प्रस्तावित है। तथा उक्त सेंटर हेतु महाविद्यालय में उपलब्ध 135 हैक्टर में सें 15 हैक्टर भूमि आंवटित करने के लिये अनुरोध किया गया।

उपरोक्त प्रकरण माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में प्रमुख शासन सचिव (कृषि), कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा, अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़, निदेशक कृषि, कृषि विभाग की आयोजित बैठक दिनांक 30.01.2017 में चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय की भूमि आवंटन करने के स्थान पर भूमि के उपयोग का अधिकार एम॰ओ॰यू॰ के तहत दिया जावे।

उपरोक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नव–स्थापित सेंटर का उपयोग महाविद्यालय के वैज्ञानिक एवं अध्ययनरत छात्र एवं छात्रायें भी

आवश्यकतानुसार कर सकेंगें तथा भूमि का टाइटल महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। भविष्य में यदि यह सेंटर बन्द होता है तो सेंटर की सम्पूर्ण अचल सम्पति महाविद्यालय की होगी।

निर्णयः **प्रस्ताव का माननीय सदस्यो ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।**

कार्यवाहीः अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़

बोम–04/2017/आर–01: कृषि अनुसंधान केन्द्र, कोटा से कृषि अनुसंधान उप–केन्द्र, खानपुर पर पद स्थानान्तरित करने हेतुः

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में खानपुर फार्म, कृषि विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित किया था। विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लेकर कृषि अनुसंधान उप–केन्द्र की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। किन्तु इस उप–केन्द्र पर एक भी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद स्वीकृत नही है। विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 10244 दिनांक 05.12.2016 **(पृष्ठ संख्या 76)** द्वारा प्रमुख शासन सचिव (कृषि), राजस्थान सरकार, जयपुर से कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, कोटा पर आयोजना भिन्न मद में स्वीकृत रिक्त पदों में से सहायक प्राध्यापक शस्य विज्ञान (1 पद), पौध व्याधि (1 पद) एवं पादप प्रजनक (1 पद) तथा कृषि पर्यवेक्षक के दो एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो पद अर्थात कुल सात पद कृषि अनुसंधान उप–केन्द्र, खानपुर पर हस्तान्तरित करने का निवेदन किया था। तदोपरान्त उप–शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प॰3(20)–3/2016 दिनांक 22.02.2017 के अनुसार उपरोक्त 07 पदों को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है **(पृष्ठ संख्या 77)**। अतः इन 07 पदों को हस्तान्तरित करने हेतु प्रबन्ध मण्डल सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः **प्रस्ताव का माननीय सदस्यो ने अवलोकन किया और सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

कार्यवाहीः कुलसचिव

बोम–04 / 2017 / आर –02: **विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिको की वार्षिक कार्य मूल्यांकन के प्रपत्र को अनुमोदित करने हेतु।**

प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ॰1(10)(ए)(8)आरबी / 2016 / 1374 दिनांक 16.02.2017 के अनुसार अशैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिको की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र निर्धारित करने हेतु राज्यपाल सचिवालय के आदेश क्रमांक एफएफ॰1(10)(ए)(8)आरबी / 2016 / 9216 दिनांक 11.11.2016 द्वारा गठित कुलसचिवगण की समिति द्वारा अनुशंषित प्रपत्र को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है **(पृष्ठ संख्या 78)**। इस अनुमोदित प्रपत्र **(पृष्ठ संख्या 79–82)** को कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के अशैक्षणिक कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिये काम में लेने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रपत्र का माननीय सदस्यो ने अवलोकन किया और सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

कार्यवाहीः निदेशक, मानव संसाधन विकास

बोम–04 / 2017 / टी–01: **विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने बाबत।**

विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में एक भी संगठक कृषि महाविद्यालय नही है, जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के मापदण्डो के अनुसार विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय का होना आवश्यक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के “Peer Review Team” टीम की रिपोर्ट के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय, कोटा व उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ को पांच साल की मान्यता दे दी है इस आशय के साथ कि कृषि विश्वविद्यालय में एक भी कृषि महाविद्यालय नही है जिसका होना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पूर्व में महाविद्यालय स्थापित करने के लिये कई बार निवेदन किया जा चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

देश के सभी राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों को बजट प्रदान करता है। परिषद के मापदण्डो को पूर्ण करने के लिये एवं कृषि शिक्षा को बढावा देने के लिये विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक है।**

कार्यवाहीः कुलसचिव

बोम–04 / 2017 / टी–02: दीगोद कृषि फार्म का कुल क्षेत्रफल 40 हैक्टेयर है जिसमें से 35 हैक्टेयर भूमि खेती योग्य है। वर्तमान में यह फार्म सी.ए.डी. कोटा के अधीन है एवं कोटा मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर कोटा–सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित है। इस फार्म को राज्य सरकार से कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया ताकि विश्वविद्यालय द्वारा इस फार्म पर कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, अन्य कृषि आधारित इकाईयों की स्थापना की जा सके। उक्त प्रस्ताव को अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा अवलोकन एवं अनुमोदित कर निर्देश दिया कि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जावे, साथ ही सक्षम अधिकारी, सी.ए.डी. कोटा को लिखा जाये।**

कार्यवाहीः कुलसचिव

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

18.4.2017	18.4.17
के॰ एम॰ गौतम	जी॰ एल॰ केशवा
कुलसचिव	कुलपति